

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार।
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।
निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/लोकनायक जयप्रकाश नारायण
अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/
न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर।
यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना एवं दरभंगा।
सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- / / 2026

विषय: बिहार के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पदस्थापित बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे
सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त है,
से विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के
अन्तर्गत कतिपय ऐसे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं, जो स्नातकोत्तर
डिग्री/डिप्लोमाधारी हैं तथा इस हेतु उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ
अनुमान्य है परन्तु वे विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

अतः बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पदस्थापित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी
योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा है की सूची संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है
कि इन चिकित्सकों से पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य
लिया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि उक्त सूची के अतिरिक्त भी जो
सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा है, ऐसे
चिकित्सकों से भी विशेषज्ञ चिकित्सक का कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/टि०-01/2026-1485(2)

पटना, दिनांक-30/06/2026

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक
एवं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार/सभी उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल, बिहार/
सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/मुख्यालय में पदस्थापित
सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. M. N. K. 30/6/26
सरकार के उप सचिव।